न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.), गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी—श्री प्रमोद कुमार R.A.S.

प्रकरण संख्या :—108/2019

वादीगण

1. किशनाराम पुत्र भाखरराम
2. मोहनराम पुत्र भाखरराम
3. घमण्डाराम पुत्र भाखरराम
   जाति विश्नोई निवासी खडाली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भाखरराम पुत्र हरीगाराम
2. कानाराम पुत्र वींजाराम
3. रूगनाथराम पुत्र बींजाराम
4. गवरी पत्नी बींजाराम
5. मुकनाराम पुत्र बालूराम
6. हरदाराम पुत्र बालूराम
7. भगवानाराम पुत्र रामलाल
8. श्रीराम पुत्र रामलाल
   जाति विश्नोई निवासी खडाली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
9. तहसीलदार गुड़मालानी जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—

1. **श्री हरीराम विश्नोई अधिवक्ता वादीगण**

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 17-8-21

वादीगण ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 40, 91, 188 का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दु विधि से शासित होते है।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का पैतृक व संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मौजा खडा[illegible] हल्का राणासर खुर्द तहसील गुड़ामालानी के खेत [illegible] 13–16 बीघा, 145 रकबा 15–12 बीघा, खसरा [illegible] 147 [illegible] 01 बीघा, खसरा नम्ब[illegible] रकबा 50–02 बीघा कुल रकबा 133–00 बीघा वक्त सैटलमेंट से आ[illegible] है। वक्त भू—पैमाईश उपरोक्त भूमि का पर्चा लगान वादीगण के दादा हरीगाराम व उनके भाईयों के नाम जारी हुआ तथा हरीगा के फौत होने परउनके विधि उत्ताधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 का नाम रेकर्ड में ईन्द्राज हुआ। उक्त वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.11.16 11:32:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण रकबे का 1/20–1/20 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। इसी हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का कब्जा–काश्त चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण का खाते में नाम दर्ज नही होने के कारण वादी हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत अपने हिस्से की घोषणा करवाना चाहते है। उक्त वादग्रस्त खेतो में वादी अपने हिस्सानुसार कब्जे काश्त में है फिर भी प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण को काश्त करते समय रोकटोक करता है। तथा वादीगण के हिस्से की भूमि को बेचान कर वादीगण को बेदखल करने पर आमदा है। जिससे वादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि की हिस्सेदारी घोषित करवाने हेतु वादपत्र पेश किया गया।

वादपत्र दिनांक 19.08.2019 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण प्रतिवादी संख्या 01 ने न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित लिखित बयान दर्ज करवाते हुए निवेदन किया कि वादीगण को मेरे पैतृक हिस्से 1/5 की भूमि में मुझ प्रतिवादी संख्या 01 के साथ 1/4–1/4 हिस्से अर्थात कुल रकबे का 1/20–1/20 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 8 की ओर से बकील बाबूलाल विश्नोई द्वारा बकालातनामा पेश कर प्रतिवादीगण संख्या 2, 4 ता 7 की ओर से अण्डर टेकिंग ली गई। परन्तु पर्याप्त समय लिये जाने के बाद भी किसी प्रकार से वादीगण के वाद पत्र का कोई उजर एतराज पेश नहीं किया तथा लगातार अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की साक्ष्य में वादीगण संख्या 3 को न्यायालय में उपस्थित कर बयान कलमवद्ध करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त आराजी की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2073–2076 की नकलें प्रस्तुत की गई। हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस तथा पत्रावली का ध्यानपूवर्क अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.11.16 11:32:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 01 ने स्वयं लिखित कथन कर वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी में स्वयं के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित करने का निवेदन किया है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक भूमि है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार पैतृक सम्पति में प्रथम श्रेणी के वारिसान

सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी

को अपने हिस्से की कृषि भूमि के अधिकारों की घोषणा करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान एवं राजस्व मण्डल द्वारा पारित अधिनिर्णयों में यही मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक दिनांक 08.01.2007 द्वारा यह निर्देशित किया गया है "कि विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पत्ति में पुत्र/पुत्री दोनो को जन्म से ही अधिकार होता है। इसलिये पुत्र/पुत्री दोनो ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल मे ही जोत का विभाजन करा सकते है। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ साथ पुत्र/पुत्री सहकृषक होते है चाहे राजस्व रेकर्ड में इसका अंकन नही भी हो, इसलिये पुत्र/पुत्री दोनो अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही सहकृषक होने के नाते राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते है। यदि पैतृक भूमि के जोत विभाजन के सम्बन्ध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री सहमत नही हो तो ऐसी अवस्था में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश कर जोतों का विभाजन कराया जा सकता है।"

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा खडाली पटवार हल्का राणासर खुर्द तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 100, 145, 147, 153 रकबा क्रमशः 13–15, 15–12, 53–11, 50–02 बीघा कुल रकबा 133–00 बीघा की भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 3 को प्रतिवादी संख्या 1 भाखराराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने का आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.11.16 11:32:05 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक....[illegible]....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर (एफ.टी.सी.) गुड़ामालानी